

राजस्थान सरकार

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीम
 (पीपल्स आधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) केम्प थाने

आदेश:-

गाँव के 'खाता कुलस्ती' धारणा पत्र एवं पलवारी की अनुमति के आधार पर राजस्थान की अनुमति के आधार पर राजस्थान राज्य सरकार अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार ग्राम क्षेत्रों में खाना संख्या 16, 49, 50, 51 में वर्तमान में वर्जित स्थानों पर निर्माणित एवं अशुद्ध भिन्न जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल करामद के आदेश दिये जाते हैं -

| क्र. सं. | खाना संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 16 | बदामी पत्नी | बदामी देवी पत्नी |
| 2 | 49 | देवी सिंह | देवी सिंह |
| 3 | 50 | | |
| 4 | 51 | | |

fhr
सहायक कलक्टर एवं
 लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, भीम
 पदेन जिला-राजसमन्ध

125/249

दिनांक 9/10/23

- 1. राजसाजदार भीम को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल करामद शीघ्र किया जाकर खाना रिपोर्ट सौजयायें।
- 2. पत्नी श्री मति बदामी देवी w/o देवी लखी दे
- 3. जिला-राजसमन्ध को सूचनायें।

fhr
सहायक कलक्टर एवं
 लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, भीम
 जिला-राजसमन्ध